

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS .

राजस्व मूल वाद संख्या:- 43/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. गंगाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी गाव नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र मदनलाल जी बाहमण निवासी पीपरली तहसील लूणी। 02. मंवरलाल पुत्र मदनलाल जाति बाहमण निवासी जैन मंदिर तिवरी जिला जोधपुर। 03. राजूराम पुत्र मदनलाल जी बाहमण निवासी पीपरली तहसील लूणी। 04. राणाराम पुत्र मदनलाल जी बाहमण निवासी जानकी नगर पाल बालाजी के पीछे जोधपुर। 05. जसराज पुत्र मदनलाल जाति बाहमण निवासी जैन मंदिर के पीछे तिवरी जिला जोधपुर। 06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

वाद अन्तर्गत धारा ,53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत उपस्थित।
02. प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता देवानन्द गौड उपस्थित।
03. शेष प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।

आदेश

वादी का वाद अन्तर्गत धारा .53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 14.08.2023 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.03.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 103 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पीपरली तहसील लूणी वादी एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.03.2024 मय मौका फर्द दिनांक 06.03.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्नानुसार:-

01. कानाराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/8 जाति बाहमण सा.देह खातेदार रहिन-राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सतलाना,
गंगाराम पुत्र अमराराम हिस्सा 83/222 जाति जाट सा नन्दवान तहसील लूणी खातेदार,
जसराज पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/8 जाति बाहमण सा देह खातेदार,
भंवरलाल पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/8 जाति बाहमण सा देह खातेदार,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

राजूराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/8 जाति बाहमण सा देह खातेदार,
राणाराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/8 जाति बाहमण सा देह खातेदार,

खसरा नम्बर रकबा हैक्टर मे किस्म

348/103 0.2133 गौ,रास्ता

02.गंगाराम पुत्र अमराराम जाति जाट सा नन्दवान खातेदार

खसरा नम्बर रकबा हैक्टर मे किस्म

347/103 3.2793 बारानी द्वितीय

03.बंशीलाल पुत्र मांगीलाल जाति सुथार सा,देह खातेदार

खसरा नम्बर रकबा हैक्टर मे किस्म

347/103 0.0099 बारानी द्वितीय

04.राजूराम पुत्र मदनलाल जाति बाहमण सा,देह खातेदार

खसरा नम्बर रकबा हैक्टर मे किस्म

347/103 1.0963 बारानी द्वितीय

05.जसराज पुत्र मदनलाल जाति बाहमण सा,देह खातेदार

खसरा नम्बर रकबा हैक्टर मे किस्म

347/103 1.0963 बारानी द्वितीय

06.भवरलाल पुत्र मदनलाल जाति बाहमण सा,देह खातेदार

खसरा नम्बर रकबा हैक्टर मे किस्म

347/103 1.0963 बारानी द्वितीय

07.कानाराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/2 जाति बाहमण सा,देह खातेदार रहन राजस्थान

मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सतलाना, राणाराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/2 हिस्सा

बाहमण सा,देह खातेदार,

खसरा नम्बर रकबा हैक्टर मे किस्म

347/103 2.1926 बारानी द्वितीय

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का

अवलोकन किया जाने पर दोनों पक्षकारण सहखातेदार होने के कारण वादी व

प्रतिवादीगण का बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अतिम डिक्री पारित किया जाना उचित

प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर

तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक

06.03.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड

मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व

नकशे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 06.03.2024

डिक्री का अभिन्न अग समझा जावे डिक्री पूर्वा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश

की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फंसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।



(पखराज अहिराज) P. Ahir,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 43/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.गंगाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी गाव नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र मदनलाल जी बाहमण निवासी पीपरली तहसील लूणी। 02.भंवरलाल पुत्र मदनलाल जाति बाहमण निवासी जैन मंदिर तिवरी जिला जोधपुर। 03.राजूराम पुत्र मदनलाल जी बाहमण निवासी पीपरली तहसील लूणी। 04.राणाराम पुत्र मदनलाल जी बाहमण निवासी जानकी नगर पाल बालाजी के पीछे जोधपुर। 05.जसराज पुत्र मदनलाल जाति बाहमण निवासी जैन मंदिर के पीछे तिवरी जिला जोधपुर। 06.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 43/2014 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 06.03.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 19/3/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा	रुपया	पै.	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक	रुपया	पै.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी